सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 3 - जल उपभोक्ता समितियों का गठन

विषय 3.4 जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण

विषय-3.4

जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण

मॉड्यूल-3 के विषय

3.1 जल उपभोक्ता समितियों के गठन का उद्देश्य

3.2 सामाजिक गतिशीलता (कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन) का महत्व

3.3 जल उपभोक्ता समितियों का गठन

3.4 जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण

1. जल उपयोगकर्ता संघ का पंजीकरण:

- मायनर स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ के क्षेत्र के परिसीमन के बाद पीआईएम अधिनियम की संबंधित धारा के तहत उस क्षेत्र के भूमि धारक

जल उपयोगकर्ता संघ बना सकते है। जैसे ही एसोसिएशन का गठन होता है, संबंधित नहर अधिकारी, उस जल उपयोगकर्ता संघ की सदस्यों के सत्यापन और पहचान पर, सभी सदस्यों की पहली आमसभा की बैठक बुलाता है, इस के लिए वो जल उपयोगकर्ता संघ के कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित कर व उचित प्रचार कर उक्त बैठक का आयोजन करता है।

- ऐसी बैठक की अध्यक्षता संबंधित नहर अधिकारी द्वारा की जाती है और नहर अधिकारी जल उपयोगकर्ता संघ के पंजीकरण के बारे में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचित करता है।
- बैठक में उपस्थित सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उक्त जल उपयोगकर्ता संघ के लिए उपयुक्त नाम तय करते है।
- नहर अधिकारी निर्धारित प्रारूप में जल उपयोगकर्ता संघ के उक्त नाम को दर्ज करेगा।
- नहर अधिकारी जल उपयोगकर्ता संघ के क्षेत्र में, एसोसिएशन का नाम, इसकी पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करेगा।
- जल उपयोगकर्ता संघ को जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने से पहले, जल उपयोगकर्ता संघ और उनके सदस्यों को अपने गाँव में सभी सदस्यों की एक सामान्य बैठक करनी

होती है और सर्वसम्मति से निर्णय लेना होता है कि उनके पास नहर या स्रोत के लिए जल उपयोगकर्ता संघ होना चाहिए जहाँ से वे सिंचाई के लिए पानी ले रहे हैं।

- सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद, जल उपयोगकर्ता संघ के नाम का निर्धारण करके सामान्य बैठक में निर्णय के अनुसार कार्यकारी अभियंता को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।
- कार्यकारी अभियंता पीआईएम अधिनियम के तहत किसानों से अधिसूचना जारी करके जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं।
- इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, जल उपयोगकर्ता संघ स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संघ को कार्यकारी अभियंता के माध्यम से पंजीकरण संख्या दी जाती है।
- कार्यकारी अभियंता के हस्ताक्षर के साथ जल उपयोगकर्ता संघ को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।
- यह प्रमाणपत्र उस जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना का आधिकारिक दस्तावेज है।
- इस प्रमाणपत्र पर दर्ज तारीख इस बात की पुष्टि करती है कि जल उपयोगकर्ता संघ उस तिथि को अस्तित्व में आए थे।
- पंजीकरण के बाद, पा जल उपयोगकर्ता संघ को पीआईएम अधिनियम के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और सरकारी विभागों के लिए सुविधाजनक

होता है कि वे अपने निर्णयों को लागू करने की कार्यवाही उनके माध्यम से करे।

- सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जल उपयोगकर्ता संघ को आश्वस्त करता है कि उनका अस्तित्व कानून द्वारा शासित है और कानूनी माहौल है जिसमें वे काम कर सकते हैं।
- पंजीकृत जल उपयोगकर्ता को अपने कानूनी अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए और कानून के ढांचे के भीतर अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह करना चाहिए।